फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र श्री राजू पुत्र उदयराम जाति ब्राह्मण निवासी जानकीदासवाला बाबत् जमाबंदी में शुद्धि करवाने हेतु।

किस्म मुकदमाः–दुरस्ती प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्याः– 54/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.03.2025	आज यह पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी श्री राजू पुत्र उदयराम जाति ब्राह्मण निवासी जानकीदासवाला ने तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता, चाचा एवं ताउ के नाम से चक 10 एस0डी0 के पत्थर नं. 107/396 के किला नं. 17 व 24 की 0.506 हैक्टर कमाण्ड भूमि बतौर स्माल पेच आवंटन हुआ था। जो कि जमाबंदी में उदयराम पुत्र चान्दराम 1/4 हिस्सा, गोपीराम पुत्र बुधराम 1/4 हिस्सा व बुधराम पुत्र अर्जुनराम 1/4 हिस्सा, सुरजाराम पुत्र सदुराम 1/4 हिस्सा जाति ब्राह्मण दर्ज है। जो कि गलत दर्ज है। अतः स्मालपेच आवंटन आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत है कि मुताबिक रिकार्ड चक 10 एस0डी0 की जमाबंदी खाता संख्या 111 पत्थर नं. 107/396 (15) के किला नं. 17 व 24 की 0.506 हैक्टर कमाण्ड भूमि उदयराम पुत्र चान्दराम हिस्सा 1/4, गोपीराम पुत्र बुधराम हिस्सा 1/4, बुधराम पुत्र अर्जन हिस्सा 1/4, सुरजाराम पुत्र सदूराम हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 जानकीदास गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं मुताबिक सम्वत् 2042 की जमाबंदी में खाता सं. 68 पत्थर नं. 107/396 किला नं. 17, 24 की 0.506 हैक्टर कमाण्ड रकबा गोपीराम, बुधराम 1/4 हिस्सा, सुरजा पुत्र सदूराम 1/4 हिस्सा, सत्यनारायण–नथू पि0 सदू 1/4 हिस्सा, उदाराम पुत्र चांदाराम 1/4 हिस्सा, बुधराम पुत्र अरजन कौम ब्राह्मण सा0 जानकीदासवाला स्मालपेच आवंटनशुदा है। आवंटन आदेश आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के क्रमांक 8648–52 दिनांक 22.12.1975 में उक्त रबा को स्मालपेच आवंटन गोपीराम पुत्र बुधराम 1/4 हिस्सा, सुरजाराम पुत्र छतुराम 1/4, सत्यनारायण व नत्थुराम बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा, उदराम पुत्र चान्दाराम 1/4 हिस्सा ब्राह्मण साकिन जानकीदासवाला हाल बांगासर दर्ज है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने शुद्धि किया जाना उचित बताया है। पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण संख्या 114/75 स्मालपेच आवंटन पत्रावली निर्णय दिनांक 09.12.1975 द्वारा गोपीराम पुत्र बुधराम 1/4 हिस्सा, सुरजाराम पुत्र छतुराम 1/4 हिस्सा, सत्यनारायण पुत्र नत्थुराम बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा हिस्सा, उदराम पुत्र चान्दाराम 1/4 हिस्सा ब्राह्मण साकिन जानकीदासवाला हाल बांगासर को चक 10 एस0डी0 के पत्थर नं. 107/396 के किला नं. 17–24 की 0.506 हैक्टर कमाण्ड भूमि स्मालपेच में आवंटन की गई है, यह मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सैल रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है। जबकि जमाबंदी में गलत अंकन है। जिसे दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 10 एस0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 111/87 के पत्थर नं. 107/396 (15) के किला नं. 17–24 की 0.506 हैक्टर कमाण्ड भूमि में अंकित काश्तकार का नाम "उदयराम पुत्र चान्दराम हिस्सा 1/4, गोपीराम पुत्र बुधराम हिस्सा 1/4, बुधराम पुत्र अर्जन हिस्सा 1/4, सुरजाराम पुत्र सदूराम हिस्सा 1/4" के स्थान पर दुरस्त किया जाकर "गोपीराम पुत्र बुधराम [illegible], सुरजाराम पुत्र छतुराम 1/4 हिस्सा, सत्यनारायण–नत्थुराम पिसरान [illegible]राम [illegible]स्सा बराबर 1/4 हिस्सा, उदराम पुत्र चान्दाराम 1/4 हिस्सा जाति ब्राह्मण [illegible] जानकीदासवाला हाल बांगासर" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। [illegible] अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.3.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.26 16:05:03 IST
Reason: SelfAttested